



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

एसोसिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

Associate Professor & Public Information Officer

27/2021-22/2003/01

दिनांक : 05/04/2022

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 07.03.2022 का आवेदन कार्यालय में दिनांक 08.03.2022 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
01	हम ने वाटर टैंकर हेतु टेन्डर भरा था मगर हमारा टेन्डर बाद हुआ है, वो टेन्डर किस कारणवश बाद हुआ उसकी जानकारी एवं जिस कंपनी को वाटर टैंकर का टेंडर मिला है उनके संपूर्ण दस्तावेज कि छायाप्रति हमें चाहिए वो आप हमें जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं।	आवेदन में समयावधि, टेंडर क्रमांक व दिनांक इत्यादि सूचनाओं का अभाव है। अतः प्रश्न अस्पष्ट है।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय
(शंभू जोशी)
05/04/2022